भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 6

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

राज्य राजमार्गों का उन्नयन

6. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्रीमती जसकौर मीना:
श्री पी. सी. मोहन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के अधिक यातायात घनत्व वाले राज्य राजमार्गों (एसएच) को अपने अधिकार में लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन राज्य राजमार्गों को चार या छह लेन वाले राजमार्गों में उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश भर में ऐसे राजमार्गों की पहचान की है और यदि हां, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में पहचान किए गए राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) इस पर कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(च) उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित, स्वीकृत और जारी की गई है तथा इस उद्देश्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ) सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य सड़कों को समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के लिए राज्य की सड़कों के मानदंड में निम्नलिखित कुछ शामिल हो सकते हैं:-

i. देश के कोने-कोने से गुजरने वाली सड़कें।
ii. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्यों की राजधानियों / पारस्परिक रूप से राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों से जोड़ना।

iii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता वाली सड़कें।
iv. मुख्य सड़कें,जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी आती हैं और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल होता है।
v. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े इलाकों तक पहुंच को सुगम बनाती हैं।
vi. 100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।
vii. प्रधान मंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल।

मंत्रालय को एसएच सहित राज्य सड़कों की नए एनएच के रूप में घोषणा/उन्नयन के लिए कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य की सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर एसएच सहित कुछ राज्य सड़कों को एनएच के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।

ऐसे अधिसूचित एनएच, जिसमें चार/छह लेन वाले एनएच मानकों तक उनकी क्षमता वृद्धि शामिल है, पर विकास और रखरखाव कार्य तदनुसार यातायात घनत्व, सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

एसएच सहित सभी राज्य सड़कों का विकास और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई मार्च, 2014 में लगभग 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में लगभग 1,44,983 किलोमीटर हो गई है।

कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों सहित अप्रैल, 2014 से एनएच के रूप में अधिसूचित एसएच सहित राज्य की सड़कों और अधिसूचित एनएच की कुल लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।

वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु आबंटित एवं जारी की गई धनराशि/व्यय का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

										धनराशि करोड़ रु. में
वर्ष	**आवंटन / लक्ष्य**					**व्यय / निधियों का आवंटन / वास्तविक**				
	बजटीय	**आईई बीआर लक्ष्य**	**अन्य***	**कुल**	**प्रा. निवेश लक्ष्य**	**बजटीय**	**आईई बीआर वास्त विक**	**अन्य***	**कुल**	**प्रा. निवेश वास्तविक**
2014-15	27,318	7,611		34,929	19,232	26,972	3,343		30,315	19,232

2015-16	43,667	42,695		86,362	29,770	43,099	23,281		66,380	29,770
2016-17	44,222	59,279		103,501	26,850	43,129	33,118		76,247	16,029
2017-18	53,182	59,279		112,461	32,400	52,336	50,533		102,869	16,501
2018-19	70,742	62,000		132,742	25,000	68,484	61,217		129,701	21,605
2019-20	74,767	75,000		149,767	25,000	68,279	74,988		143,267	21,926
2020-21	94,256	65,000	9,731	168,987	26,400	91,032	65,036	9,731	165,799	12,476
2021-22	123,472	65,000	25,000	213,472	30,000	115,303	65,150	21,356	201,809	19,206
2022-23 (31.12.2022 तक)	189,679	1,000	25,000	215,679	30,000	153,579	798	6,750	161,126	16,347

आईईबीआर - आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन

*- अन्य में एनएच के मुद्रीकरण से धन शामिल है (इनविट और परियोजना आधारित वित्तपोषण सहित)

अनुबंध

राज्य राजमार्गों का उन्नयन के संबंध में डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्रीमती जसकौर मीना और श्री पी. सी. मोहन द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों सहित अप्रैल, 2014 से एनएच के रूप में अधिसूचित एसएच सहित राज्य सड़कों और अधिसूचित एनएच की कुल लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

			लंबाई किमी में
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2014 से नए एनएच के रूप में अधिसूचित राज्य सड़कों की लंबाई	अधिसूचित एनएच की लंबाई
1	आंध्र प्रदेश	4,451	8,683
2	अरुणाचल प्रदेश	2,481	4,285
3	असम	277	4,077
4	बिहार	1,393	5,969
5	चंडीगढ़	0	15
6	छत्तीसगढ	474	3,620
7	दिल्ली	86	157
8	गोवा	37	299
9	गुजरात	3,588	7,885
10	हरियाणा	1,349	3,391
11	हिमाचल प्रदेश	246	2,607
12	जम्मू और कश्मीर	422	1,780
13	झारखंड	748	3,430
14	कर्नाटक	2,186	8,037
15	केरल	21	1,782
16	लद्दाख	80	806
17	मध्य प्रदेश	3,825	9,105
18	महाराष्ट्र	12,124	18,459
19	मणिपुर	347	1,840
20	मेघालय	0	1,156
21	मिजोरम	321	1,499
22	नगालैंड	339	1,670

लंबाई किमी में			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अप्रैल, 2014 से नए एनएच के रूप में अधिसूचित राज्य सड़कों की लंबाई**	**अधिसूचित एनएच की लंबाई**
23	ओडिशा	1,234	5,897
24	पुदुचेरी	37	64
25	पंजाब	2,361	4,239
26	राजस्थान	2,932	10,706
27	सिक्किम	570	709
28	तमिलनाडु	2,102	7,000
29	तेलंगाना	2,497	4,926
30	त्रिपुरा	264	889
31	उत्तर प्रदेश	4,533	12,270
32	उत्तराखंड	1,147	3,664
33	पश्चिम बंगाल	655	3,675
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	331
35	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	59
	कुल	**53,134**	**1,44,983**

*****